भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 122
21.07.2025 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील का जीर्णोद्धार

122. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट झील के मुहाने पर बार-बार रेत के टीले बनने के पर्यावरणीय प्रभाव और झील के पारिस्थितिकी और स्थानीय आजीविका पर इसके विपरीत प्रभावों पर कोई विस्तृत अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जीर्णोद्धार प्रस्ताव दो वर्ष से अधिक समय पहले प्रस्तुत किया गया था और यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) पुलिकट झील, जो एक महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है, के संरक्षण की तात्कालिकता और पर्यावरणीय महत्व के बावजूद अभी भी परियोजनाओं को शुरू करने में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) आंध्र प्रदेश सरकार ने पुलिकट झील के मुहाने पर, विशेष रूप से वकाडु मंडल में रायदोरुवु प्रवेश मार्ग पर, बार-बार बनने वाले रेत के टीले के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए वर्ष 2019 में सलीम अली पक्षीविज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन) के माध्यम से एक विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि रेत के जमाव के कारण समुद्र के मुहाने के बार-बार बंद होने से पुलिकट झील की पारिस्थितिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे समुद्र और मीठे पानी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है, जिससे अत्यधिक लवणता, मत्स्य विविधता में कमी और महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पर्यावासों का क्षरण होता है। ये परिवर्तन झील पर निर्भर स्थानीय मछुआरा समुदायों की आजीविका को प्रभावित करते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर, रिपोर्ट में जल विज्ञान संतुलन को बहाल करने, जैव विविधता को बढ़ाने और आश्रित समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से नियोजित ड्रेजिंग परिचालन और दीर्घकालिक जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन की सिफारिश की गई।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से पुलिकट झील के जीर्णोद्धार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्तमान में देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। तमिलनाडु सरकार से पुलिकट वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के लिए मार्च 2022 के दौरान पांच साल के लिए 355.00 लाख रुपये की कुल लागत पर एक एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) प्राप्त हुई थी। चूंकि, एनपीसीए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आईएमपी प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए तमिलनाडु सरकार को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा, मंत्रालय ने दिनांक 17.04.2023 के पत्र के माध्यम से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित सभी राज्य सरकारों को एनपीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार रामसर स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों के आईएमपी प्रस्तुत करने की सलाह दी है।

*****